भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 2147
दिनांक 11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि

2147 श्री मिलिंद मुरली देवराः
श्री उज्ज्वल देवराव निकमः
श्री एस. सेल्वागनबेथी
श्री शंभू शरण पटेलः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के अंतर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र में संस्वीकृत, अनुमोदित और संवितरित कुल निधि कितनी है;
(ख) एएचआईडीएफ के अन्तर्गत सहायता का क्षेत्र-वार वितरण क्या है;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत सहायता के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, मांस प्रसंस्करण इकाइयों एवं मूल्य-संवर्धन अवसंरचना की स्थापना अथवा विस्तार हुआ है;
(घ) यदि हां, तो जिला-वार ऐसी कितनी इकाइयां संचालित हैं;
(ङ) एमएसएमई, एफपीओ, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों ने एएचआईडीएफ के अंतर्गत किस सीमा तक सहायता प्राप्त की है;
(च) क्या एएचआईडीएफ के अंतर्गत ऋण स्वीकृतियों, ऋण गारंटी प्रक्रियाओं या राजसहायता के संवितरण में किसी विलंब की सूचना मिली है; और
(छ) यदि हां, तो क्या उसके निराकरण हेतु सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के अंतर्गत, निधि राज्य सरकारों को जारी नहीं की जाती, बल्कि सीधे लाभार्थी को जारी की जाती है। दिनांक 31 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र में संस्वीकृत और अनुमोदित परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

संस्वीकृत परियोजनाएं			**अनुमोदित परियोजनाएं**			
संख्या	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**सावधि ऋण (करोड़ में)**	**संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**सावधि ऋण (करोड़ में)**	**जारी की गई ब्याज सबवेंशन (करोड़ में)**
151	4838.06	3412.49	88	3419.95	2435.91	102.41

(ख) भारत भर में AHIDF के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वितरण अनुबंध – I में दिया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र और मांस प्रसंस्करण इकाइयों सहित अनुमोदित और संचालनरत मूल्य वर्धन अवसंरचना परियोजनाओं के जिला-वार और श्रेणी-वार विवरण, अनुबंध -II में दिए गए हैं।

(ङ) MSME, FPO, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत प्राप्त सहायता की सीमा का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

(च) और (छ) लाभार्थी को ऋण की स्वीकृति संबंधित बैंकों पर निर्भर करता है। लाभार्थी को बैंक की आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। एएचआईडीएफ लाभों के लिए आवेदन के पात्र पाए जाने पर पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार बैंकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करता है। कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग योजना दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना अनुमोदन समिति (PAC) और परियोजना संस्वीकृति समिति (PSC) की बैठकों में अनुमोदित सभी परियोजनाओं पर नजर रखता है और बैंकों और राज्य पशुपालन विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों की समीक्षा करने और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र स्तरीय बैंक समन्वय समिति (CLBCC) की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

AHIDF के तहत अनुमोदित परियोजनाओं का क्षेत्र-वार वितरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**अवसंरचना श्रेणी**	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**जारी किया गया ब्याज सबवेंशन (करोड़ में)**
1	पशु आहार संयंत्र	155	3178.17	130.64
2	पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)	4	137.02	5.46
3	नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म	126	2052.98	58.96
4	डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन	161	10532.33	331.09
5	मांस प्रसंस्करण और मूल्य-वर्धन	28	1180.67	38.40
6	पशु चिकित्सा टीके और दवा उत्पादन सुविधाओं की स्थापना	5	261.61	5.44
	कुल	**479**	**17342.77**	**569.99**

महाराष्ट्र में डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र और मांस प्रसंस्करण इकाइयों सहित अनुमोदित और प्रचालनरत मूल्य वर्धन अवसंरचना परियोजनाओं का जिला-वार और श्रेणी-वार विवरण, निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन**			**मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन**		
		परियोजनाओं की संख्या	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**जारी किया गया ब्याज सबवेंशन (करोड़ में)**	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**जारी किया गया ब्याज सबवेंशन (करोड़ में)**
1	अहमदनगर	4	26.06	0.57		-	-
2	बीड	1	4.70	0.02		-	-
3	छत्रपति संभाजी नगर	1	10.24	0.25		-	-
4	कोल्हापुर	5	50.27	1.75		-	-
5	मुंबई	1	78.51	5.92		-	-
6	नागपुर	1	3.20	0.19		-	-
7	नांदेड़	1	1.51	0.03		-	-
8	उस्मानाबाद	1	0.33	0.01		-	-
9	पुणे	5	1040.72	42.84	1	105.06	3.99
10	रायगढ़	1	88.26	2.94		-	-
11	रत्नागिरि	1	22.27	1.08		-	-
12	सांगली	3	159.63	5.85		-	-
13	सतारा	4	98.10	5.27		-	-
14	सोलापुर	4	89.47	4.39		-	-
कुल		**33**	**1673.26**	**71.09**	**1**	**105.06**	**3.99**

MSME, FPO, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों द्वारा पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत प्राप्त सहायता की सीमा का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**इकाई का नाम**	**परियोजनाओं की संख्या**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**जारी किया गया ब्याज सबवेंशन (करोड़ में)**
1	सहकारी समितियाँ	16	3635.93	59.39
2	किसान उत्पादक संगठन (FPO)	9	51.30	1.18
3	व्यक्तिगत उद्यमी	52	196.91	5.25
4	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	183	3017.96	104.93
5	निजी कंपनी	217	10431.52	399.06
6	धारा 8 कंपनी	2	9.15	0.17
कुल		**479**	**17342.77**	**569.99**